

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 491 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2014—आश्विन 28, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्र. एफ-ए-3-01-2014-1-पांच-(51).—यतः, आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन कर के अपवंचन का निवारण करने या उसे रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर अस्थायी जांच चौकियां स्थापित करता है और नाकों का निर्माण करता है.

2. ये जांच चौकियां 1 सितम्बर, 2014 से छः मास की कालावधि के लिए स्थापित की जा रहीं हैं:—

#### अनुसूची

अनुक्रमांक	जांच चौकी तथा नाके के स्थान का नाम तथा विवरण	जांच चौकी तथा नाके की अवस्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	ग्राम चिरूला, जिला दतिया	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 पर दतिया से झांसी की ओर 9 किलोमीटर व झांसी से दतिया की ओर 19 किलोमीटर के मध्य में स्थित ग्राम चिरूला, पुलिस थाने के पास.
2.	ग्राम खरई-पडोरा (कोटा नाका) जिला शिवपुरी.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 27 पर, शिवपुरी से कोटा मार्ग पर शिवपुरी से (कोटा की ओर) 45 किलोमीटर की दूरी पर जहां एकीकृत जांच चौकी स्थित है.

अमित राठौर, आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्र. एफ-ए-3-01-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-01-2014-1-पांच-(51), दिनांक 20 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 20th October 2014

No. F-A-3-01-2014-1-V-(51).—WHEREAS, the Commissioner of Commercial Tax, Madhya Pradesh is satisfied that it is necessary so to do with a view to prevent or check evasion of tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002);

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the Commissioner, Commercial Tax, hereby sets up temporary check posts and erects barrier at the place as specified in the Schedule below.

These check posts are being set up for a period of Six Months from 1st September, 2014.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name and description of place of check post and barrier (2)	Location of check post and barrier (3)
1.	Village Chirula, District Datia	On National Highway No. 75 between 9 K.M. from Datia towards Jhansi and 19 K.M. from Jhansi towards Datia near Police Station at Village Chirula.
2.	Village Kharai-Padora (Kota Barrier), District Shivpuri.	On National Highway No. 27, Shivpuri to Kota Road 45 K.M. from Shivpuri (towards Kota) where Integrated Check Post is situated.

AMIT RATHORE, Commissioner.